Factual and Action Taken Report

1

In the matter of

Original Application No. 478/2022

Sompal Sharma ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand ....Respondent

I. BACK GROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 478/2022, Sompal Sharma Vs State of Uttarakhand issued inter alia following directions on 10.08.2022:

"xxx................................xxx....................................xxx

2. Prima facia, the allegations made in the application raise question relating to the environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee of the concerned statutory authorities be asked to verify the factual position and take remedial action on the basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee of the concerned Statutory Authorities-State PCB, DFO and District Magistrate, Dehradun and direct the same to meet within four weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take remedial action as mandated by the statutory provisions empowering them in accordance with law after notice to the concerned persons and by following due process of law. State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3. *Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial–ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

xxx……………………………xxx………………………………xxx"

II. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 10.08.2022, the joint committee has undertaken inspection of the area in question on 31.10.2022. Following officials of the Joint Committee were part of the inspection :-

1. Sh. Ashutosh Singh, Divisional Forest Officer, Mussoorie Forest Division, Dehradun.
2. Sh. Naresh Durgapal, Sub District Magistrate, Dehradun.
3. Sh. Anil Singh Rawat, Sub Divisional Forest Officer, Dehradun Forest Division.
4. Sh. S.S. Chauhan, Asst. Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board.

III. OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NGT :-

संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा ग्राम चलंग सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में कतिपय भूमाफियाओं द्वारा प्लाटिंग एवं खैर के पेड़ों के अवैध पातन सम्बंधित शिकायती पत्र में उल्लेखित स्थल एवं सेटेलाइट इमेज में दिये गये स्थान की जॉच एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। परन्तु उक्त नाम का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में नहीं मिला। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नाम का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में निवास नहीं करता है। शिकायती पत्र में वर्णित स्थल एवं सेटेलाइट इमेज में दिये गये स्थान की जांच में खैर के वृक्षों के अवैध पातन से सम्बन्धित कोई चिन्ह/प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, और न ही उक्त

स्थल में खैर के पेड़ों के अवैध पातन सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्राप्त हुए। शिकायती स्थल 23⁰23⁰63"N, 78⁰6'20.97"E, 30⁰23'25.92"N, 78⁰6'21.72"E, 30⁰23'29.49"N, 78⁰6'26.42"E, 30⁰23'22-79"N, 78⁰6'32.60"E के कुछ भाग में समतलीकरण कार्य किया गया है, जो कि काफी पुराना है एवं उक्त स्थल में घनी घास एवं झाड़ियां उगी हुई पायी गई। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र में जो सेटेलाइट इमेज संलग्न की गयी है। वह इमेज अलग–अलग मौसम (सितम्बर 2020 एवं अप्रैल 2021) की है। माह सितम्बर में वर्णित स्थल में घास एवं झाड़ियां हरी एवं माह अप्रैल में सूखी हुई दिखाई पड़ रही है। उक्त सेटेलाइट इमेज एवं स्थलीय सत्यता की जांच करने एवं मिलान करने पर पाया गया कि उक्त स्थल में एक समूह के रूप में कुछ हरे वृक्ष मौजूद हैं, जो की खैर की नहीं बल्कि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष हैं, जिनमें मुख्यतः आम, भीमल, बकारा, ढाक, तुन, सेमल, अमलतास, पेपर मलवरी, सफेद सिरस, फरसू आदि के हैं, जो कि वर्तमान में भी मौजूद हैं।

वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग द्वारा उक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान वस्तुस्थिति का जायजा लेकर प्रश्नगत स्थल के समीप स्थित ग्रामवासियों से भी प्रकरण के सम्बन्ध में मौके पर पूछताछ करने पर किसी प्रकार के खैर वृक्षों का अवैध पातन किया जाना मौका स्थल पर नहीं पाया गया है। इस सम्बन्ध में समीपस्थ निवासरत ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित रूप से खैर वृक्षों का पातन न होने के सम्बन्ध में लिख कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)** जांच के दौरान प्रश्नगत क्षेत्र में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। परन्तु श्री सोमपाल शर्मा नामक कोई व्यक्ति क्षेत्र में नहीं मिला। इस सम्बन्ध में वर्तमान पदासीन नगर निगम पार्षद वार्ड नं–59, गुजराड़ा मानसिंह से सम्पर्क कर शिकायतकर्ता के स्थायी निवास के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है। किन्तु उनके द्वारा अपने पत्र सं0–मेमो दिनांक 01.11.2022 के द्वारा लिखित रूप से दिया गया है कि श्री सोमपाल शर्मा नामक व्यक्ति दिये गये पते के अनुसार निवासरत नहीं है। पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)** निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

****

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या–478/2022 सोमपाल शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य ग्राम चलंग, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में अवैध रूप से खैर के पेड़ के कटान एवं प्लाटिंग के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. जिलाधिकारी, देहरादून
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. श्री आशुतोष सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग देहरादून
2. श्री नरेश दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी देहरादून
3. श्री अनिल सिंह रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग
4. श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

निरीक्षण के समय शिकायती स्थल में उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य की उपस्थिति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति द्वारा दिनांक 31.10.2022 को ग्राम चलंग, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में अवैध रूप से खैर के पेड़ के कटान एवं प्लाटिंग के सम्बन्ध निरीक्षण गठित समिति के प्रतिनिधियों/नामित अधिकारियों द्वारा किया गया। आख्या निम्नवत् है–

संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा ग्राम चलंग सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में कतिपय भूमाफियाओं द्वारा प्लाटिंग एवं खैर के पेड़ों के अवैध पातन सम्बंधित शिकायती पत्र में उल्लेखित स्थल एवं सेटेलाइट इमेज में दिये गये स्थान की जॉच एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। परन्तु उक्त नाम का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में नहीं मिला। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नाम का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में निवास नहीं करता है। शिकायती पत्र में वर्णित स्थल एवं सेटेलाइट इमेज में दिये गये स्थान की जांच में खैर के वृक्षों के अवैध पातन से सम्बन्धित कोई चिन्ह/प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, और न ही उक्त स्थल में खैर के पेड़ों के अवैध पातन सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्राप्त हुए। शिकायती स्थल $23^0 23^0 63''$N, $78^0 6'20.97''$E, $30^0 23'25.92''$N, $78^0 6'21.72''$E, $30^0 23'29.49''$N, $78^0 6'26.42''$E, $30^0 23'22\text{-}79''$N, $78^0 6'32.60''$E के कुछ भाग में समतलीकरण कार्य किया गया है, जो कि काफी पुराना है एवं उक्त स्थल में घनी घास एवं झाड़ियां उगी हुई पायी गई। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र में जो सेटेलाइट इमेज संलग्न की गयी है। वह इमेज अलग–अलग मौसम (सितम्बर 2020 एवं अप्रैल 2021) की है। माह सितम्बर में वर्णित स्थल में घास एवं झाड़ियां हरी एवं माह अप्रैल में सूखी हुई दिखाई पड़ रही है। उक्त सेटेलाइट इमेज एवं स्थलीय सत्यता की जांच करने एवं मिलान करने पर पाया गया कि उक्त स्थल में एक समूह के रूप में कुछ हरे वृक्ष मौजूद हैं, जो की खैर की नहीं बल्कि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष हैं, जिनमें मुख्यतः आम, भीमल, बकारा, ढाक, तुन, सेमल, अमलतास, पेपर मलवरी, सफेद सिरस, फरसू आदि के हैं, जो कि वर्तमान में भी मौजूद हैं।

वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग द्वारा उक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान वस्तुस्थिति का जायजा लेकर प्रश्नगत स्थल के समीप स्थित ग्रामवासियों से भी प्रकरण के सम्बन्ध में मौके पर पूछताछ करने पर किसी प्रकार के खैर वृक्षों का अवैध पातन किया जाना मौका स्थल पर नहीं पाया गया है। इस सम्बन्ध में समीपस्थ निवासरत ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित रूप से खैर वृक्षों का पातन न होने के सम्बन्ध में लिख कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)** जांच के दौरान प्रश्नगत क्षेत्र में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। परन्तु श्री सोमपाल शर्मा नामक कोई व्यक्ति क्षेत्र में नहीं मिला। इस सम्बन्ध में वर्तमान पदासीन नगर निगम पार्षद वार्ड नं–59, गुजराड़ा मानसिंह से सम्पर्क कर शिकायतकर्ता के स्थायी निवास के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है। किन्तु उनके द्वारा अपने पत्र सं0–मेमो दिनांक 01.11.2022 के द्वारा लिखित रूप से दिया गया है कि श्री सोमपाल शर्मा नामक व्यक्ति दिये गये पते के अनुसार निवासरत नहीं है। पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)** निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर प्रेषित।

(एस0एस0 चौहान) सहा0वैज्ञा0अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	(अनिल सिंह रावत) उ0प्रभा0वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	(नरेश दुर्गापाल) उप जिलाधिकारी देहरादून	(आशुतोष सिंह) प्रभा0वनाधिकारी मूसरी वन प्रभाग, देहरादून

सलग्नक – 1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–478/2022 सोमपाल शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य ग्राम चलंग, सहस्रधारा रोड, देहरादून में अवैध कटान से खैर के पेड के कटान एवं प्लाटिंग से सबंधित संयुक्त निरीक्षण दिनांक 31.10.2022 में उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य की उपस्थिति –

क0सं0	अधिकारी का नाम व पद	विभाग का नाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	आशुतोष सिंह DFO	वन विभाग	7579135375	[signature]
2.	नरेश दुर्गापाल SDM	राजस्व विभाग / जिला प्रशासन	9410164415	[signature]
3.	अनिल सिंह रावत (S.D.O)	वन विभाग (देहरादून वन प्रभाग)	7060798050	[signature]
4.	एम0 एस0 चौहान ASO	प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून	9719034547	[signature]
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

6

संलग्नक–2

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग।
पत्रांकः 718 / 21–5 ,किद्दूवाला, दिनांकः 01, नवम्बर, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,मसूरी।

द्वाराः– उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, मसूरी वन प्रभाग।

विषयः– श्री सोमपाल शर्मा, ग्राम– चालंग, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के शिकायती प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या 478/2022 पर दिनांक 10–08–2022 को जारी आदेश के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांकः 1511/21–5, दिनांकः 10–10–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रश्नगत शिकायत की जांच अधोहस्ताक्षरी के द्वारा क्षेत्रीय स्टाफ को साथ में रखकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय मौका जांच के दौरान वस्तुस्थिति का जायजा लेकर प्रश्नगत स्थल के समीप स्थित ग्रामवासियों से भी प्रकरण के सम्बन्ध में मौके पर पूछताछ करने पर किसी प्रकार के खैर वृक्षों का अवैध पातन किया जाना मौकास्थल पर नहीं पाया गया है। इस सम्बन्ध में समीपस्थ निवासरत ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी लिखित रूप में खैर वृक्षों का पातन न होने के सम्बन्ध में लिखकर दिया गया है (संलग्नक– 1)। जांच के दौरान प्रश्नगत क्षेत्र में शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया। परन्तु श्री सोमपाल शर्मा नामक कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में नहीं मिला। इस सम्बन्ध में वर्तमान पदासीन नगर निगम पार्षद वार्ड नं0 59, गुजराड़ा मानसिंह से सम्पर्क कर शिकायतकर्ता के स्थायी निवास के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। किन्तु उनके द्वारा अपने पत्र सं0– मेमो दिनांकः 01–11–2022 के द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि श्री सोमपाल शर्मा नामक व्यक्ति दिए गए पते के अनुसार निवासरत नहीं है। पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक– 2)। अतएव शिकायत निराधार प्रतीत होती है।

अतः विषयांकित शिकायती जांच आख्या मय संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
(मसूरी वन प्रभाग)

Scanned with OKEN Scanner

सेवामें, श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज

विषय:- ग्राम खराग (चालंग) खैर के वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में,

महोदय, हम ग्राम वासी खरावा (चालंग) क्षेत्र मे विगत कई वर्षों से निवास कर रहे है, इस क्षेत्र के अन्तर्गत खैर के वृक्षों का कोई अवैध पातन नही हुआ है, ना ही यहाँ कोई खैर के वृक्ष है.

समस्त ग्रामीण, के हस्ताक्षर,

1- (संजय - S/o दुमाराम)
ग्राम - खराजा
2- निर्मला देवी
(श्रीमति निर्मला देवी W/o सजन सिंह)
3-
4- (श्रीमति कल्पना रावत) Kalpana
दयाराम
(श्री दयाराम S/o तुलाराम)
ग्राम - खरावा

5- Sanjay Singh
संजय सिंह S/o स्व. बलदेव सिंह
चालंग गरोढा

6- [illegible]
S/o [illegible]
ग्राम [illegible]
चालंग

(7) सभी (प्रदीप - पूर्व प्रधान चालंग

9720080808

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-3

भारतीय जनता पार्टी

शिवानी बंसल
पार्षद
मो0 : 7351907321

नगर नि. देहरादून

डांडा खुदानेवाला, वार्ड सं. 59, गुजराड़ा मानसिंह, पो.ऑ. आई.टी.पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, नगर निगम देहरादून (उत्तराखण्ड)

ांक ......मेमो...... दिनांक 1/11/2022

सोमपाल शर्मा चालंग के पते पर [illegible] विभाग द्वारा संयुक्त पता करने पर आसपास से इस नाम का कोई व्यक्ति का पता प्रमाणित नहीं हो पाया

पार्षद
वा० सं0 59, गुजराड़ा मानसिंह
नगर निगम देहरादून
उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-4

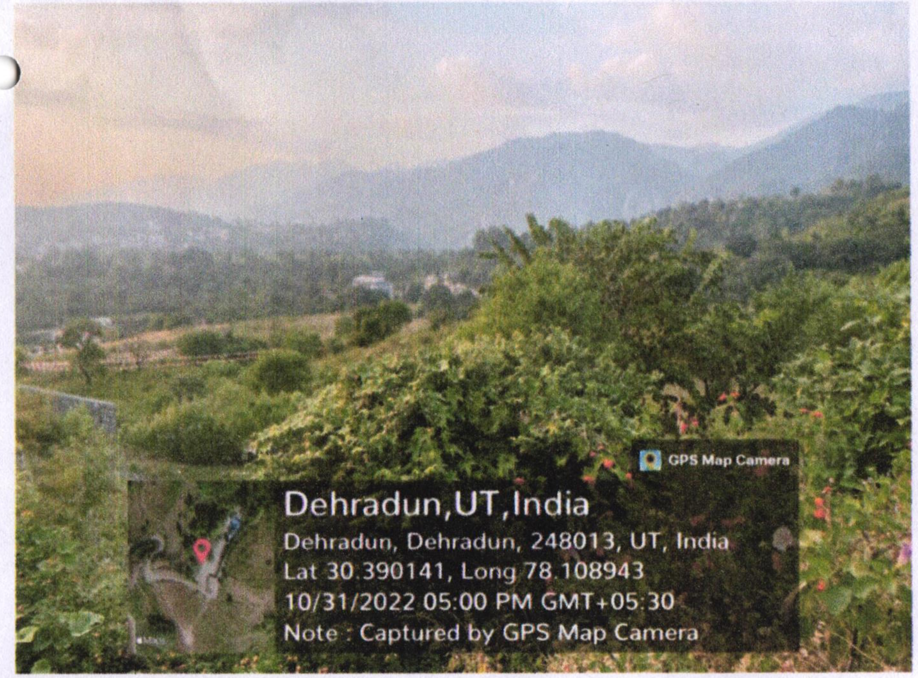

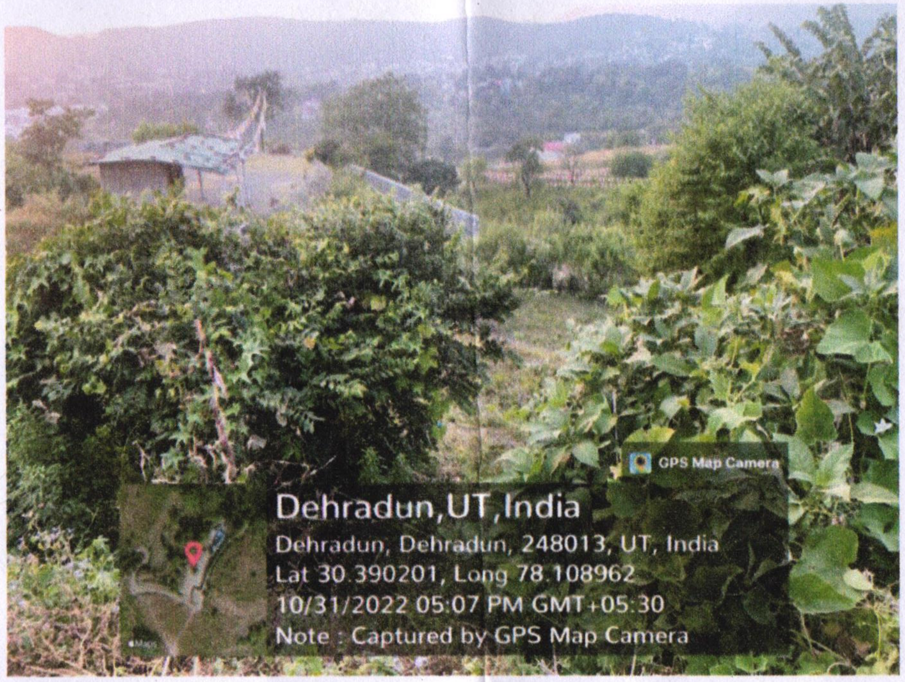

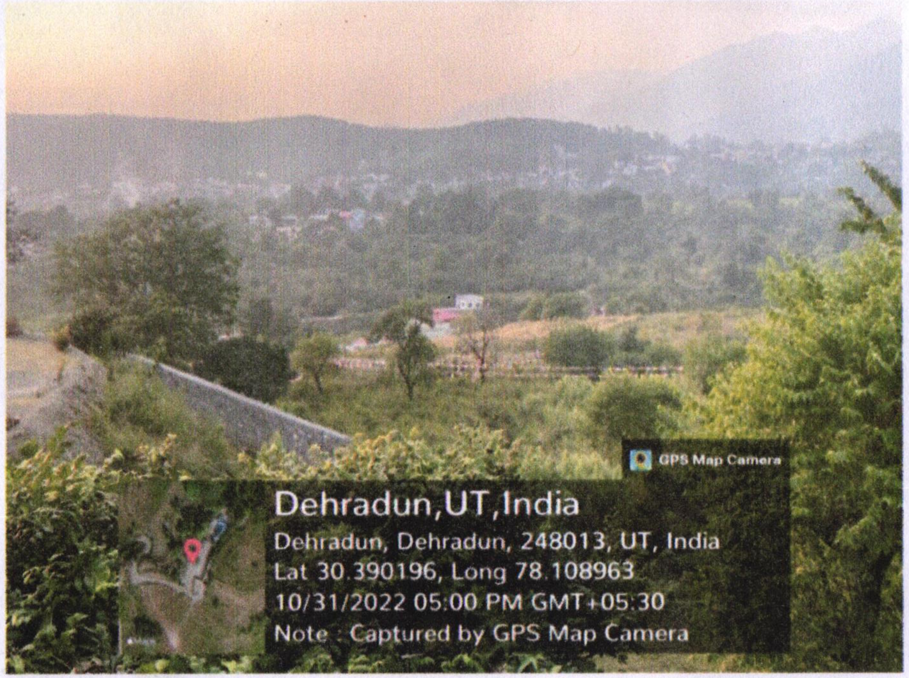

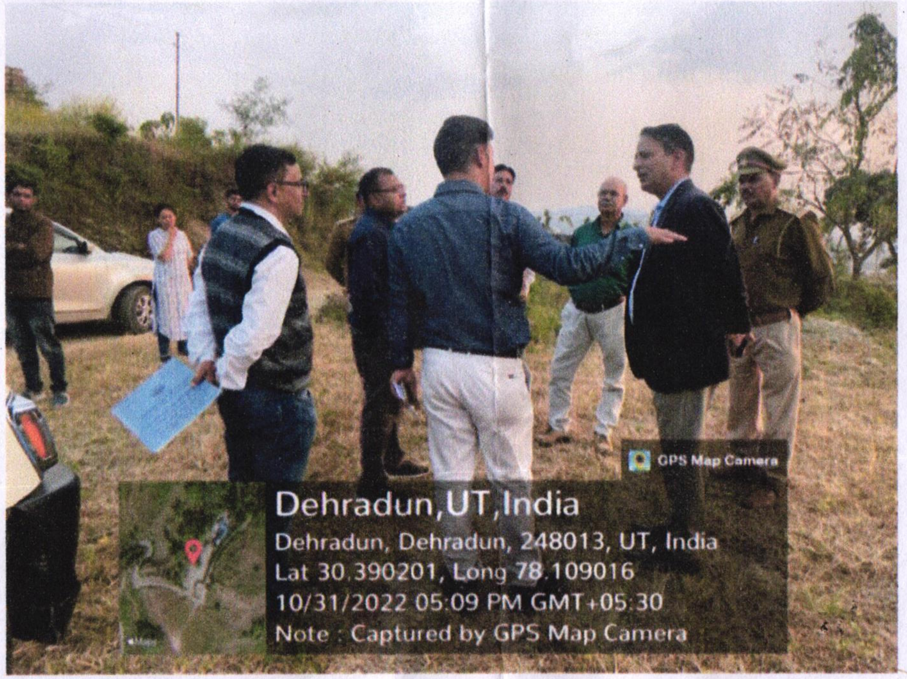

संलग्नक-4